

डिग्री वमुकदमें ईत्तादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-31/2025

- 1 नीतू रानी पत्नी श्री लेखराम जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसीलसंगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 2 आशा रानी पुत्री श्री दर्शन कुमार जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)


-वादीगण

बनाम

- 1 गुलाम मुस्तफा पुत्र जानमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 2 सावन माही पुत्र शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 3 कुरशैद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 4 नूरा पत्नी सैयद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 5 फज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 6 सुभाना पुत्री सैयद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 7 सैयद बीबी पुत्री मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 8 सुबामाही पुत्र शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 9 हरप्रीत कौर पत्नी भीम सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- 10 तहसीलदार(राजरव) संगरिया।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:- मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 9 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 7 व 9 के नाम से 1.518 है. कृषिभूमि का प्रतिवादी सं. 8 को खातेदार काशतकार घोषित कर वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 7 व 9 का नाम कलमजन किया जावे। इसी प्रकार चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 41/76 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से 2.277 है. कृषिभूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 1.265 है. कृषिभूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 0.253 है. कृषिभूमि का एवं प्रतिवादी सं. 8 को 0.759 है. कृषिभूमि का खातेदार काशतकार घोषित करवा

  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 7 एम.एम. के खाता सं. 118/87 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी सं. 2 एवं प्रतिवादी सं. 2 व 8 के नाम से 2.783 है. कृषिभूमि में से वादी सं. 1 को 1.202 है. कृषिभूमि, वादी सं. 2 को 0.253 है. कृषिभूमि प्रतिवादी सं. 2 को 0.253 है. कृषिभूमि प्रतिवादी सं. 3 ता 7 को 0.063 है. कृषिभूमि के तथा प्रतिवादी सं. 9 को 1.012 है. कृषिभूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का

खाता/रकमराज निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(क) वादीया सं. 1 नीतूरानी पत्नी श्री लेखराम जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषिभूमि:-  
चक 7 एम.एम.के. खाता सं.118/87जमाबन्दीसम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
137/202	27	19,21,22/0.253 है.प्र.
136/202	26	14/0.190 है., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.

कुल 1.202 है. मय गै.मु. कृषिभूमि

वादीया सं. 2 आशा रानी पुत्री श्री दर्शन कुमार जाति अग्रवाल निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषिभूमि:-

चक 7 एम.एम.के. खाता सं. 118/87जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
136/202	26	13/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषिभूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1 गुलाम मुस्तफा पुत्र जानमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कि करवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हकहिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषिभूमि:-

चक 7 एम.एम.के. खाता सं. 41/76जमाबन्दीसम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/201	18	17,18,19,21,22/0.253 है.प्र.कुल 1.265 है. कृषिभूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 2 सावन माही पुत्र शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हकहिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषिभूमि:-

चक 7 एम.एम.के. खाता सं. 118/87जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
137/203	31	11/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषिभूमि


चक 7 एम.एम.के. खाता सं.41/76 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
138/202	28	1/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषिभूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 3 ता 7 क्रमशः कुरशैद पुत्र मोहम्मद सदीक (0.021 है.), नजीरा पत्नी सैयद मोहम्मद (0.007 है.),फैजमोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक (0.021 है.),सुभाना पुत्री सैयदमोहम्मद (0.0035 है.),सैयद बीबी पुत्री मोहम्मद सदीक (0.0105 है.), समस्त जाति मुसलमान निवासीगण कि करवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हकहिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषिभूमि :-

चक 7 एम.एम.के. खाता सं. 118/87जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
136/202	26	14/0.063 है. कुल 0.063 है. कृषिभूमि

  
महायक कलेक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

(च) प्रतिवादी सं. 8 सुबामाही पुत्र शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषिभूमि:-  
चक 7 एम.एम.के. खाता सं. 9/11 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

137/203 31 14 ता 17,24,25/0.253 है.प्र. कुल 1.518 है. कृषिभूमि

चक 7 एम.एम.के. खाता सं. 41/76 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

137/203 31 6,7/0.253 है.प्र.

138/203 30 10/0.253 है. कुल 0.759 है. कृषिभूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 9 हरप्रीत कौर पत्नी श्री भीम सिंह जाति जटसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषिभूमि:-

चक 7 एम.एम.के. खाता सं. 118/87 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

137/203 31 1,2,9,10/0.253 है.प्र. कुल 1.012 है. कृषिभूमि



नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.3.2025 को जारी किया

गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपसंचालक अदालत,  
संगरिया